अपने क्लिनिक में VAW को कैसे संबोधित करें

- कोई नुकसान न करें.
- यदि आवश्यक हो तो नैदानिक जांच द्वारा हिंसा की पहचान करें
- सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया
- नैदानिक देखभाल
- आवश्यकतानुसार रेफरल।
- दस्तावेज़ीकरण
- मेडिको-लीगल साक्ष्य
- सामुदायिक रोल मॉडल के रूप में वकालत

किससे संपर्क करें??
हेल्पलाइन नंबर:

भारत महिला हेल्पलाइन- संकटग्रस्त महिलाएं	1091
महिला घरेलू दुर्व्यवहार हेल्पलाइन	181
राष्ट्रीय महिला आयोग	011-26942369 011-26944754
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
पुलिस	100

Violence Against Women
is A Social Evil with
Huge Impact
On Women's Health.

LET'S TAKE A VOW TO ERADICATE VAW

Dr Hrishikesh Pai
President,
FOGSI

Dr Madhuri Patel
Secretary General,
FOGSI

Dr Alka Pandey
VP FOGSI
Incharge

Dr Kiranmai Devineni
Chairperson, No To
Violence Against
Women Committee

fogsiofficial fogsiofficial fogsiofficial @fogsiHQ

Designed by PORE BROTHERS 9923300500

FOGSI PRESIDENTIAL INITIATIVE

SAMATA
GENDER EQUALITY

INTERNATIONAL DAY FOR ELIMINATION OF VAW
NOVEMBER 25TH, 2023

An initiative by **FOGSI**

UNITE
INVEST TO PREVENT
VAW

President **Dr Hrishikesh Pai**
Secretary General **Dr Madhuri Patel**
Vice President **Dr Alka Pandey**
Chairperson - No to Violence Against Women Committee
Dr Kiranmai Devineni

Contributors - **Hindi**
Dr Achala Sahai Sharma • **Dr Santvana Sharan**

FOGSI PRESIDENTIAL INITIATIVE

SAMATA
GENDER EQUALITY

INTERNATIONAL DAY FOR ELIMINATION OF VAW
NOVEMBER 25TH, 2023

वाव क्या है....

महिलाओं के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यू) को विश्व स्तर पर एक गंभीर स्थिति के रूप में पहचाना गया है, जिसका महिलाओं के जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और यह घोर मानवाधिकार उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 1 में VAW को परिभाषित किया गया है, "लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है या होने की संभावना है, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकियां, जबरदस्ती या स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है।"चाहे सार्वजनिक हो या निजी"।

VAW कितना सामान्य है?

दुनिया भर में 736 मिलियन महिलाएँ, यानी 3 में से 1 महिला अपने जीवन में कम से कम एक बार साथी द्वारा शारीरिक और/या यौन हिंसा, दूसरों द्वारा यौन हिंसा, या दोनों का शिकार होती हैं।

VAW की जड़ें

- विषैला पुरुषत्व
- लिंग भेद
- पितृसत्तात्मक समाज -
- लिंग रूढ़िवादिता.
- लिंगभेद

स्त्री रोग विशेषज्ञों को VAW के बारे में जानने और बात करने की आवश्यकता क्यों है?

महिलाओं की अधिकांश गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ हिंसा है। गर्भावस्था के दौरान गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ें हिंसा में होती हैं।

ओबीजी विशेषज्ञ अपने जीवनकाल में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए प्राथमिक देखभाल प्रदाता और संपर्क का पहला बिंदु हैं।

महिलाएं अपने साथ हुई हिंसा/दुर्व्यवहार का खुलासा कर सकती हैं। ओबीजी विशेषज्ञ, यदि प्रशिक्षित और संवेदनशील हो, तो हिंसा से बचे लोगों की पहचान कर सकता है, प्राथमिक उपचार दे सकता है, इलाज कर सकता है, रेफर कर सकता है और उनके पास आने वाले लोगों के साक्ष्य एकत्र कर सकता है।

वीएडब्ल्यू के प्रकार

- **शारीरिक हिंसा:**
  एसिड हमले, ऑनर किलिंग, स्त्री हत्या, यौन हिंसा
- **मनोवैज्ञानिक हिंसा:**
  वित्तीय हेरफेर, भावनात्मक दुर्व्यवहार, धमकाना, पीछा करना, छेड़छाड़, आपराधिक धमकी
- **योग:** घरेलू हिंसा

कानून द्वारा संरक्षण:

- **एसिड अटैक का प्रयास:**
  धारा 326 बी आईपीसी,
  5 -7 साल की कैद और जुर्माना भी देना होगा।
- **एसिड अटैक:**
  आईपीसी की धारा 326ए में कम से कम 10 साल की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, पीड़िता के मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
- **यौन उत्पीड़न:**
  - धारा 354 आईपीसी, 1-5 साल और जुर्माना
  - निर्भया अधिनियम, 2013
  - धारा 375 आईपीसी - बलात्कार के खिलाफ
  - महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अनुमान और डेटा (2021) पर डब्ल्यूएचओ और संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी कार्य समूह के अनुसार, यौन उत्पीड़न और अवांछित शारीरिक संपर्क के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए
  - POCSO अधिनियम 2012 नाबालिगों को यौन शोषण से बचाता है।
- **पीछा करना:**
  धारा 354डी आईपीसी 1-3 साल की कैद और जुर्माना।
- **ताक-झांक:**
  धारा 354 सी आईपीसी,
  पहली बार दोषी पाए जाने पर 1-3 साल की कैद,
  इससे अधिक होने पर 3-7 साल की कैद।
- **छेड़ छड करना:**
  धारा 294 अधिकतम 3 माह के लिए।
  आईपीसी की धारा 509 उन पुरुषों को 3 साल तक की जेल की सज़ा देती है जो किसी महिला का अपमान करने के लिए कार्य करते हैं या किसी वस्तु का उपयोग करते हैं।
- **आपराधिक धमकी:**
  धारा 503 आईपीसी - 2 साल तक की कैद,
  या जुर्माना, या दोनों।
- **यौन उत्पीड़न:**
  धारा 354ए आईपीसी- 3 साल तक की कैद।
- **घरेलू हिंसा:**
  घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 शारीरिक, यौन, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार को कवर करता है, तत्काल सुरक्षा प्रदान करता है, दुर्व्यवहार करने वाले को 3 साल तक कारावास की सजा देता है।